2009:CGHC:10442-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

पीठ:

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 238/2003

प्रदीप कुमार जायसवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(तथा सम्बद्ध अपील क्रमांक. 470/2003 एवं क्रमांक. 784/2003)

<u>विचार हेतु निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायाधीश राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक 20-08-2009 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

पीठ:

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 238/2003

अपीलकर्ता प्रदीप कुमार जायसवाल, पिता घनश्याम जायसवाल, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी बगीचाछापारा, थाना नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 470 / 2003

अपीलकर्ता सतीश डेविड, पिता मियाकल डेविड, उम्र लगभग 23 वर्ष, चालक, निवासी बगीचाछापारा, नारायणपुर, थाना नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)।

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 784 / 2003

अपीलकर्ता राजेन्द्र कुमार दुग्गा, पिता जैतराम दुग्गा, उम्र 22 वर्ष, पेशा चालक, निवासी नयापारा, नारायणपुर, थाना नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)।

(अपील - धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत)

उपस्थिति:

सुश्री सुधा अग्रवाल, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता दांडिक अपील क्र. 238/2003

श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता दांडिक अपील क्र. 470/2003

श्री एस.के. मिश्रा, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता दांडिक अपील क्र. 784/2003

श्री अशीष शुक्ला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता, समस्त दांडिक अपीलों हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(20.08.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

(1) यह अपीलों को, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बस्तर जगदलपुर, द्वारा सत्र वाद क्र. 422/2002 में दिनांक 3.2.2003 को पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलकर्ताओं को निम्न प्रकार से दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है। साथ ही दण्डादेश साथ-साथ चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं:

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
धारा 302/34 भा.दं.स.	आजीवन कारावास एवं ₹2,000/- जुर्माना, जुर्माना न चुकाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
धारा 376(2)(g) भा.दं.स.	10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- जुर्माना, जुर्माना न चुकाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
धारा 377/34 भा.दं.स.	5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1,000/- जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 9 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
धारा 201 भा.दं.स.	3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹500/- जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षिप्त रूप में तथ्य इस प्रकार हैं:

मृतक जानो उसेंडी, घसिया (अ.सा.-1) की पुत्री थी। वह अनुसूचित जनजाति (गोंड) समुदाय की सदस्य थी। वह प्राथमिक शाला, परलाभाट में शिक्षिका थी। दिनांक 31.12.2001 को प्रातः 10:00 बजे वह अपनी साइकिल से ग्राम दुग्गबेगाँव स्कूल गई थी, जहाँ उसका निवास पिता के साथ था। जब वह दिनांक 01.01.2002 की सुबह तक वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता ग्राम परलाखोट गए। उन्हें बताया गया कि उनकी पुत्री दिनांक 31.12.2001 को स्कूल से लौट आई थी। अपने गाँव लौटते समय, पिता ने रास्ते में अपनी पुत्री की साइकिल देखी। खोजबीन करने पर, एक गड्ढे में अपनी मृत पुत्री का शव मिला। उन्होंने पुलिस थाना नारायणपुर को सूचना दी, जिस पर मेरग सूचना (प्रदर्श.-पी/16) दिनांक 02.01.2002 को दर्ज हुई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/23) दर्ज की गई। जांच अधिकारी घटना स्थल पर दिनांक 03.01.2002 को पहुँचे और देहातिनालशी (प्रदर्श.-

पी/17) दर्ज की। पंचों को सूचना देने के बाद (प्रदर्श.-पी/18), पंचनामा (प्रदर्श.-पी/3) तैयार किया गया और शव का शव-परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नारायणपुर (प्रदर्श.-पी/21) भेजा गया। रक्त सनी मिट्टी, साधारण मिट्टी एवं दो रक्त सने पत्थर घटना स्थल से (प्रदर्श.-पी/1) जब्त किए गए। एक साइकिल, हवाई चप्पल का एक जोड़ा तथा चार पहिया वाहन के टायरों के निशान वाली मिट्टी भी वही से बरामद हुई। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श.-पी/2 के तहत तैयार किया गया। शव-परीक्षण प्रदर्श.-पी/22 के अनुसार, दो चिकित्सकों (डॉ. कमल, डॉ. कान्त सोरी (अ.सा.-14)) की टीम द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श.-पी/23 (पुनः चिन्हित प्रदर्श.-पी/23) प्रस्तुत की। शव परीक्षणकर्ताओं ने मृतका के शरीर के विभिन्न भागों पर कई खरोंच (नाखून के निशान) पाए। पीठ पर कई अपघातिक घाव भी पाए गए। नाक पर 4x4 सेमी का विदीर्ण घाव था। बाएं कान के ऊपर 3x4 सेमी का विदीर्ण घाव था। बाईं जिगमैट्रिक क्षेत्र में 2.5x3 सेमी का विदीर्ण घाव था। दाहिनी ऑक्सिपिटल क्षेत्र में 3x3 सेमी का एक और घाव था।आंतरिक परीक्षण में, जिगमैट्रिक हड्डी, बायीं पैरेटल हड्डी व दाहिनी ऑक्सिपिटल हड्डी में फ्रैक्चर मिले। हायमेन पुराना फटा पाया गया और एनस फैला हुआ था। योनि व गुदा के स्वाब से स्लाइड तैयार कर आगे जांच हेतु भेजी गई। शव परीक्षणकर्ता ने मृत्यु का कारण सिर एवं शरीर पर बाह्य एवं आंतरिक चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव बताया, जिसे उन्होंने दांडिक मानव वध प्रकृति की माना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 09.01.2002 को विस्तृत अन्वेषण के दौरान, दो गवाह - मंगल (अ.सा.-2) एवं मनकुराम (अ.सा.-3) के बयान दर्ज हुए। उन्होंने बताया कि दिनांक 31.12.2001 को लगभग समय 4-4.30 बजे अपीलकर्ताओं को मृतका को बलपूर्वक जंगल ले जाते देखा। इस खुलासे पर, अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिया गया व प्रदीप कुमार जायसवाल व सतीश डेविड के कथनों (प्रदर्श.-पी/5 & पी/6) को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिनांक 9.1.2002 को दर्ज किया गया। उनके कथन पर कुछ कपड़े प्रदर्श.-पी/10 व पी/9 जब्त किए गए। सतीश डेविड के अन्य कपड़े प्रदर्श.-पी/11 के तहत जब्त हुए। राजेन्द्र कुमार दुग्गा के कपड़े प्रदर्श.-पी/13 के तहत जब्त हुए। अपीलकर्ताओं के वीर्य युक्त बोतलों के नमूने

सील कर, उनके स्लाइड जाँच हेतु भेजे गए। वीर्य के नमूने भी प्रदर्श.-पी/14 व पी/15 के तहत जब्त किए गए। अपीलकर्ता राजेन्द्र कुमार दुग्गा की पहचान परेड मंगल (अ.सा.-2) व मनकुराम (अ.सा.-3) द्वारा करायी गई। यह प्रक्रिया कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोनित मेरिया (अ.सा.-11) द्वारा संपादित की गई, जिसमें गवाहों ने अपीलकर्ता राजेन्द्र कुमार दुग्गा की सही पहचान की, जिसे पहचान ज्ञापन प्रदर्श.-पी/4 में दर्ज किया गया। जब्त वस्तुएँ न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को परीक्षण हेतु भेजी गईं, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श.-पी/42 प्राप्त हुई। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, मृतका की रक्त सनी मिट्टी, पत्थर एवं वस्त्रों पर तथा अपीलकर्ताओं सतीश व प्रदीप के फुलपैंट पर रक्त के धब्बे पाए गये। मृतका के वस्त्रों, सतीश व प्रदीप के अन्त:वस्त्रों एवं मृतका के योनि/गुदा स्वाब से बनी स्लाइड्स में मानव वीर्य पाया गया। हालाँकि, रक्त धब्बों के उद्गम व समूह का निर्धारण नहीं हो सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामान्य विवेचना पूर्ण करने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणपुर की अदालत में चार्जशीट पेश की गई, जिन्होंने विवेचना को विशेष न्यायाधीश, बस्तर जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त न्यायाधीश ने मामले का परीक्षण कर पूर्वोक्त रूप से अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध किया तथा दण्डित किया। हालाँकि अपीलकर्ताओं को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) एवं 3(2)(v) के आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

(3) अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मंगल (अ.सा.-2) व मनकुराम (अ.सा.-3) की गवाही पर आधारित है। एक गवाह ने अपीलकर्ताओं को मृतका को बलपूर्वक जंगल की ओर ले जाते हुए देखा, जबकि दूसरे गवाह ने उन्हें जंगल से बाहर आते हुए देखा।

(4) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना दिनांक 31.12.2001 को लगभग 4.00 बजे हुई तथा मृतका का शव दिनांक 2.1.2002 को लगभग 6.00 बजे मिला। गवाहों के बयान दिनांक 9.1.2002 को दर्ज किये गये। गवाहों ने अपने विलंबित

खुलासे का कोई कारण नहीं बताया, जो लगभग 9 दिन बाद हुआ। अतः उनका आचरण अप्राकृतिक एवं अत्यंत संदेहास्पद है, वे विश्वसनीय नहीं हैं और उनके ऐसे बयान के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सकती।

(5) दूसरी ओर, श्री अशीष शुक्ला, राज्य की ओर से अधिवक्ता, ने इन तर्कों का विरोध किया और विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का समर्थन किया।

(6) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई और सत्र वाद अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

(7) घसिया (अ.सा.-1) ने बयान दिया कि उसकी पुत्री जानो उसेंदी रोज़ सुबह अपनी साइकिल से गाँव परलभाट स्कूल जाती थी और शाम को लौटती थी। जब वह दो दिनों तक नहीं लौटी, तो उसने उसकी खोज की। रास्ते में उसकी साइकिल मिली और आगे खोज में पुत्री का शव गड्ढे में मिला। जिरह में, उसने स्वीकार किया कि जब पुलिस पंचनामा करने घटनास्थल पर आई, तो मनकुराम (अ.सा.-3) उपस्थित था। पुलिस यह नहीं जान सकी थी कि घटना कैसे हुई। पुलिस कह रही थी – 'एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, अतः किसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) मंगल (अ.सा.-2) ने बयान दिया कि "अपीलकर्ता और मृतका उससे परिचित थे। घटना वाले दिन वह लकड़ी बेचने गाँव नारायणपुर गया था। लौटते समय, लगभग 4 बजे, उसने देखा कि अपीलकर्ता सतीश डेविड मृतका को घसीट रहा था। सतीश ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई, तो उसे मार दिया जायेगा। वहाँ कुल तीन व्यक्ति थे। ये तीनों व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हैं। उसने घटनास्थल पर मृतका की साइकिल भी देखी, जो मृतका की थी। जब वह अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में मनकुराम (अ.सा.-3) मिला। उसने घटना की पूरी बात मनकुराम को बताई और यह भी बताया कि अभियुक्तगण द्वारा दी

गई धमकी का उल्लेख किया। जिरह में, उसने स्वीकार किया कि उसने घटना को वृक्ष के पीछे छिपकर देखा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पुलिस के साथ शव देखने गया था। उसने देखा था कि तीन व्यक्ति स्त्री को घसीट रहे थे और उसे उसी स्थान पर घसीट ले गए जहाँ शव मिला था। सतीश और प्रदीप ने मृतका के हाथ पकड़े थे और राजेन्द्र ने उसके पैर पकड़े थे। उसने पुलिस को बताया था कि महिला को इसी प्रकार ले जाना गया था और यदि यह उसके केस डायरी बयान (प्रदर्श.-डी/1) में नहीं है, तो इसके कारण वह नहीं बता सकता। उसने आगे बयान दिया कि उसने अभियुक्तगण की धमकी के कारण पहले पुलिस को यह तथ्य नहीं बताया था। हालाँकि, उसने पुलिस को ये सब बातें 7 दिन बाद बताईं। उसने आगे स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान तीन बार दर्ज किये थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि जिरह के अंतिम पैरा में जब घसिया (अ.सा.-1) अपनी पुत्री की खोज कर रहा था उसने (अ.सा -2) स्वीकार किया कि मृतका के पिता से उसकी मुलाकात हुई थी, किंतु उसने ये सारी बातें उन्हें नहीं बताईं। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के पूर्व वह अभियुक्तों के नाम नहीं जानता था, परंतु, उसे उनके नाम गाँववालों द्वारा बताए गए, जिससे वह उनके नाम जान सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) मनकुराम (अ.सा.-3) ने बताया कि " दिनांक 31.12.2001 को वह नारायणपुर जा रहा था। अपीलकर्ताओं ने उसे मोटर सायकिल से रास्ते में क्रॉस किया। अपीलकर्ता सतीश डेविड व प्रदीप उसे पहचान में आते थे और राजेन्द्र दुग्गा को वह चेहरे से जानता था। वह घर लौटकर पैसा लेने गया और पुनः नारायणपुर की ओर गया, तो मंगल (अ.सा.-2) रास्ते में मिला। मंगल (अ.सा.-2) ने बताया कि तीन व्यक्ति महिला (मृतका) को जंगल की ओर ले जा रहे हैं। सतीश ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो उसे मार दिया जाएगा। उसने रास्ते में पड़ी साइकिल देखी। जब वह साइकिल के पास पहुँचा, उसने देखा कि अपीलकर्ता जंगल की ओर से बाहर आ रहे हैं। अपीलकर्ता सतीश पास आया और उसे धमकी दी।"

(10) स्वीकार है कि इन दोनों गवाहों (अ.सा.-2 मंगल एवं अ.सा.-3 मनकुराम) के 161 CrPC के तहत बयान दिनांक 9.1.2002 को दर्ज हुए। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने आरोपित तथ्यों को लगभग 9 दिन तक नहीं बताया। अ.सा.-1 घसिया की साक्षी से स्पष्ट होता है कि मनकुराम, पंचनामा के समय दिनांक 3.1.2002 को घटनास्थल पर उपस्थित था। इसी प्रकार, मंगल (अ.सा.-2) की साक्षी में यह भी आता है कि वह घसिया से उसकी पुत्री को खोजते हुए मिला, किंतु उसने घटना के तथ्य उसी समय नहीं बताए। यदि इन गवाहों ने वास्तव में अपीलकर्ताओं को मृतका को घसीटते हुए देखा होता, तो यदि इन गवाहों ने वास्तव में मृतका को अभियुक्तों द्वारा जंगल की ओर घसीटे जाते देखा था, तो उन्होंने यह तथ्य पुलिस, मृतका के पिता (जो पुत्री को खोज रहा था), या घटनास्थल पर उपस्थित अ.सा.-3 मनकुराम को पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कथित तौर पर अभियुक्तगण द्वारा धमकी दिए जाने का कारण दिया है, किंतु हम इस स्पष्टिकरण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि अ.सा.-2 मंगल को वाकई धमकी दी गई थी, जैसा उसने अपने साक्ष्य में कहा, तो उसी दिन उसने ये तथ्य मनकुराम (अ.सा.-3) को क्यों बता दिए?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) बालकृष्ण सवाईन बनाम स्टेट ऑफ ओडिसा, (ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 804) के तहत उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि, जाँच अधिकारी द्वारा मुख्य प्रत्यक्षदर्शी का धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान विवेचना के दौरान विलंब से दर्ज किया जाये, तो ऐसी साक्ष्य अविश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि देरी का अवसर आरोपित घटना के वास्तविक तथ्यों की अपेक्षा परिकल्पित पूरी अलग संस्करण स्थापित करने का अवसर देता है।

(12) उड़ीसा राज्य बनाम श्री ब्रह्मानन्द नंद, (ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 2488) में प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के एक दिन बाद तक अभियुक्त का नाम उदघाटित नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि हत्या के मामले में, यदि सम्पूर्ण अभियोजन ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य पर

आधारित हो जो स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताता हो और वह नाम उजागर करने में एक दिन से भी अधिक विलंब करे व न बताने का स्पष्टीकरण अविश्वसनीय हो, तो यह दोषी के विरुद्ध साक्ष्य की विश्वसनीयता को नष्ट करने वाली गंभीर कमजोरी होगी। उच्च न्यायालय द्वारा इसे अविश्वसनीय मानते हुए आरोपित को दोषमुक्त करना उचित है।

(13) बच्चू नारायण सिंह बनाम नरेश यादव एवं अन्य, (ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 3055) में हुआ कि—अपराधस्थल पर एक घंटे से अधिक समय तक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, लेकिन दस प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद कोई भी अधिकारी के समक्ष आकर घटना की रिपोर्ट बताने प्रत्यक्षदर्शी नहीं हुआ। रिपोर्ट उक्त स्थान पर अधिकारी के आगमन से लगभग डेढ़ घंटा बाद दर्ज हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचनाकर्ता एवं प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति घटना के समय संदेहास्पद प्रतीत होती है। घटना के दौरान प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति पर गंभीर संदेह बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) हम निस्संदेह मानते हैं कि गवाहों द्वारा तथ्यों की विलंबित अभिव्यक्ति वाले मामलों में कोई कठोर या निश्चित नियम लागू नहीं किया जा सकता एवं गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। किन्तु न्यायालय को सामान्य मानवीय आचरण तथा संभाव्य परिस्थितियों, जिनमें दोषपूर्ण तथ्य उजागर न करने के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण भी शामिल हो, ध्यान में रखते हुए निर्णय करना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, गवाह बार-बार पुलिस और मृतका के पिता (जो अपनी पुत्री की तलाश में था) से मिलते रहे, किंतु उन्हें घटना के विषय में नहीं बताया। एकमात्र कारण उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा दी गयी धमकी बताया। यदि वास्तव में यही कारण था, तो (अ.सा.-2) मंगल ने उसी दिन यह बात (अ.सा.-3) मनकुराम को तत्काल क्यों बता दी? (अ.सा.-3) मनकुराम के संदर्भ में भी अभियोजन पक्ष ने यही रुख रखा। पुलिस पूरे समय इनके साथ थी। जब कथित घटना का भय 9 दिन बाद अचानक समाप्त हो गया, और गवाहों ने पुलिस को घटना संबंधी तथ्य अचानक उजागर कर दिए, तो ऐसा स्पष्टीकरण मन्य नहीं है। गवाहों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या अविश्वसनीय है—तथ्यों का उजागर न करने का स्पष्टीकरण गंभीर कमजोरी है,

जिससे गवाहों की साक्ष्य की विश्वसनीयता नष्ट हो जाती है; अतः हम उनके ऐसे आचरण के आधार पर उनकी गवाही पर भरोसा नहीं करते।

(15) उपरोक्त कारणों से हमारा स्पष्ट मत है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध करना उचित नहीं था।

(16) परिणामतः, अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302/34, 376(2)(ग), 377/34 एवं 201 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि व दण्डादेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलकर्ता दिनांक 10.1.2002 से निरंतर जेल में हैं। यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ritruaj Burman